

[नियम 204(1) देखें]

अधिनियम की धारा 392(4)(क) के अधीन आय का विशिष्टियां प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

क्रम संख्या	भाग क: कर्मचारी की विशिष्टियां	
1.	नाम	(टिप्पण 1 संदर्भ ले)
2.	पता	(टिप्पण 2 संदर्भ ले)
3.	स्थायी खाता संख्या	
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 संदर्भ ले)
5.	कर वर्ष	

भाग ख										
धारा 392(4)(क) के प्रयोजन के लिए किसी अन्य नियोक्ता(ओं) से “वेतन” शीर्षक के अधीन देय या प्राप्त आय का विशिष्टियां										
क्रम संख्या	अन्य नियोक्ता/नियोक्ताओं के नाम	अन्य नियोक्ता(ओं) का स्थायी खाता क्रमांक	अन्य नियोक्ता(ओं) का कर संग्रह और खाता संख्या	नियोजन की अवधि	अधिनियम की धारा 16, 17 और 18 में यथा परिभाषित वेतन का विशिष्टियां, जो कर्मचारी को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया हो या किया जाना हो।			स्तंभ 6, 7 और 8 का योग	जीवन बीमा प्रीमियम , भविष्य निधि अभिदाय आदि के संबंध में काटी गई राशि, जिस पर धारा 123 लागू होती है (ब्यौरा दें)	वर्ष के दौरान कटौती की गई कुल कर राशि [धारा 395(4) के अधीन जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें]
					स्तंभ 7 और 8 में दर्शाई जाने वाली राशियों को छोड़कर कुल वेतन राशि।	मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य भत्तों की कुल राशि, कर योग्य सीमा तक [अनुसूची III (सारणी क्रमांक 11) नियम 279 के साथ पढ़ें तथा अनुसूची III (सारणी क्रमांक	कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि और उपाबंध में उल्लिखित सुविधाओं का मूल्य (विशिष्टियां उपाबंध में दें)			

						12) और अनुसूची III (तालिका क्रमांक 13) देखें]				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

कर्मचारी के हस्ताक्षर

.....

भाग ग																								
धारा 392(4)(क)(iii), (iv) और (v) के प्रयोजन के लिए विशिष्टियों के ब्यौरे																								
क्र म सं ख्या	विशिष्टियां																							
1.	"मकान संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि <table border="1"> <tr> <td>हानि की राशि</td> <td colspan="5">ब्यौरे</td> </tr> <tr> <td>(क)</td> <td colspan="5">(ख)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>						हानि की राशि	ब्यौरे					(क)	(ख)										
हानि की राशि	ब्यौरे																							
(क)	(ख)																							
2.	आय के किसी अन्य मद के अंतर्गत कर योग्य किसी अन्य आय का विशिष्टियां (उपरोक्त तालिका संख्या 1 में उल्लिखित "मकान संपत्ति के अंतर्गत हानि" को छोड़कर) – <table border="1"> <tr> <td>शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य आय</td> <td>आय का स्वरूप</td> <td colspan="4">मात्राप्राप्त/क्रेडिट की गई आय का</td> </tr> <tr> <td>(क)</td> <td>(ख)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य आय	आय का स्वरूप	मात्राप्राप्त/क्रेडिट की गई आय का				(क)	(ख)										
शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य आय	आय का स्वरूप	मात्राप्राप्त/क्रेडिट की गई आय का																						
(क)	(ख)																							
3.	स्रोत पर कटौती किए गए अन्य करों के ब्यौरे – <table border="1"> <tr> <td>वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर काटा जाता है</td> <td>कटौतीकर्ता का नाम</td> <td>कटौतीकर्ता का पता</td> <td>कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता क्रमांक)</td> <td>कर कटौती की राशि</td> <td>मात्रा</td> </tr> <tr> <td>(क)</td> <td>(ख)</td> <td>(ग)</td> <td>(घ)</td> <td>(ङ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर काटा जाता है	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का पता	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता क्रमांक)	कर कटौती की राशि	मात्रा	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)							
वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर काटा जाता है	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का पता	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता क्रमांक)	कर कटौती की राशि	मात्रा																			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)																				

4.	स्रोत पर कर संग्रह का विशिष्टियां –				एवं संग्रह संग्राहक का खाता क्रमांक
	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जाता है	संग्राहक का नाम	पता संग्राहक का	कर कटौती	
	(क)	(ख)	(ग)		

घोषणा

- ☐ मैं,जिसका स्थायी खाता संख्या है, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

.....

तारीख:

हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा दिया जाएगा।
2. पते के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकाना/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'आवासीय प्रास्थिति को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परन्तु सामान्यतः निवासी नहीं।
4. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

परिशिष्ट

[फॉर्म के स्तंभ 8 (भाग ख) देखें]

कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि और अनुलाभों के मूल्य का विशिष्टियां।

नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराए से मुक्त आवास का मूल्य या आवास के किराए में किसी भी प्रकार की छूट का मूल्य (गणना का आधार बताएं) <[नियम 15 देखें]>						
जहां आवास असंरचित है	जहां आवास सुसज्जित है				यदि कोई किराया हो तो कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया	अनुलाभ का मूल्य (स्तंभ 1 में से स्तंभ 6 घटाने पर या स्तंभ 5 में से स्तंभ 6 घटाने पर, जैसा लागू हो)
	मूल्य इस प्रकार निर्धारित करें जैसे कि आवास बिना फर्नीचर के हो।	फर्नीचर की लागत*या फिर, यदि किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया गया हो, तो किराया शुल्क लागू होगा।	फर्नीचर का अनुलाभ मूल्य (10%) स्तंभ 3) या देय वास्तविक किराया शुल्क	स्तंभ 2 और 4 का योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*(इसमें टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण और एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण शामिल हैं)

परिशिष्ट

(जारी)

क्या नियोक्ता द्वारा कोई परिवहन सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान की गई है, या क्या कर्मचारी को नियोक्ता के स्वामित्व वाली या किराए पर ली गई एक या अधिक मोटर कारों का उपयोग करने की अनुमति है, तो अनुलाभ का अनुमानित मूल्य (विशिष्टियां दें) [नियम 15 देखें]	नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक घरेलू और/या व्यक्तिगत सेवाएं कर्मचारी को प्रदान किया गया (विशिष्टियां दें)नियम 15 देखें]	घर जाने की छुट्टी और अन्य यात्राओं के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर मिलने वाले यात्रा शुल्क का मूल्य, जिस सीमा तक कर योग्य हो (विशिष्टियां दें) [नियम 278 को अनुसूची III (तालिका क्रमांक 8) के साथ पढ़ें]	नियोक्ता द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी अन्य लाभ या सुविधा का अनुमानित मूल्य, जो पूर्ववर्ती स्तंभों में शामिल नहीं है (विशिष्टियां दें, उदाहरण के लिए, घरेलू उपयोग के लिए गैस, बिजली या पानी की आपूर्ति, निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं, परिवार के लिए परिवहन, आदि। [देखें]नियम 15]	नियोक्ता का योगदान मान्यता प्राप्त भविष्य निधि जो 10% से अधिक है कर्मचारी का वेतन [देखें] अनुसूची XI – भाग A]	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में करदाता के खाते में जमा किया गया ब्याज, निर्धारित राशि से अधिक है। द्वारा निर्धारित दर केंद्र सरकार [अनुसूची XI – भाग A देखें]	स्तंभ 7 से 13 तक का कुल योग स्तंभ 8 में ले जाया गया इस प्ररूप का भाग ख
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर